न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–159/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/159)

1. सत्यनारायण पुत्र रामधन
2. हरजीराम पुत्र रामचंद्र
3. रामजीलाल पुत्र रामधन (समस्त जाति जाट नि0
4. सांवला पुत्र छीतर ग्राम हटुपुरा तहसील दूदू
5. नंदूदेवी पत्नि दुलाराम जिला जयपुर राजस्थान)
6. शोभाग पत्नि हनुमान
7. सायर पत्नि हरजीराम
8. रसाल पत्नि लक्ष्मीनारायण
9. भूली पत्नि श्योनारायण
10. प्रेम पत्नि मोहनलाल
11. लाली पत्नि रामजीलाल

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती मोमल पत्नि छोटूराम जाति जाट नि0 हटुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।
3. शाखा प्रबंधक सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
4. कमला देवी पत्नि रामनारायण जाति जाट नि0 बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
5. धापू देवी पत्नि सुजाराम जाति बलाई नि0 बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू , दिनांक 27.07.2015 अंतर्गत वाद संख्या 331/2013.

उपस्थितः–

1. श्री बी0एल0शर्मा, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री रामजीलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,4,5.
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02.
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–31.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 331/2013 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलांट व रेस्पोडेंट सख्या 2 व 3 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 10.43 है0 वाकै ग्राम बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान में स्थिक्त है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी हिस्सा 1/6 तथा शेष प्रतिवादीगण/अपीलांट मुताबिक जमाबंदी के अनुसार खातेदार काश्ताकर है। तथा लगान सरकारी अपने-अपने हिस्से अनुसार जमा करवाते आ रहे है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं परंतु मौके पर पक्षकारान ने अपने-अपने हिस्से का ब्राह्मी बंटवारा कर बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। विधिवत तकासमा नहीं होने से आए दिन मेर कोर को लेकर विवाद होता रहता है। वादीकया अपनेहिस्से की आराजी को उपजाउ बनाना चाहती है तथा प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है एवं तकासमा नहीं करीना चाहते इसलिए दिनांक 03.09.2013 को प्रतिवादीगण ने तकासमा करवाने से इंकार कर दिया, जिस पर वादीया ने स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष व बंटवारो का अनुतोष चाहा तथा वाद निर्णय व डिक्री बाबत बंटवारा व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा। जिस पर तलबी प्रतिवीगण की जाकर दिनांक 23.10.2013 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता पन्नालाल चौधरी ने प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.12.2014 को जवाब बंद कर दिनांक 29.06.2015 को पी0डब्ल्यू0- 1 मोमल, पी0डब्ल्यू0-2 चंदाराम, पी0डब्ल्यू0-3 रामजीवण के शपथ पत्र प्रस्तुत किए तथा दिनांक 27.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की एकतरफा कार्यवाही कर वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 331/2013 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस घर बैठकर राजीनामा हो चुका है जिसकी मुल प्रति अपील संख्या 160/22 में प्रस्तुत कि जा चुकी है। फोटो प्रति समझौता पक्ष दिनांक 31.01.2022 की अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है पक्षकारान मुताबिक समझौता मौके पर काबिज काश्त है इसी अनुरूप विचाराधीन अपील स्वीकार फरमाई जाकर बंटवारा फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक समझौता पक्ष दिनांक 31.10.2022 के अनुरूप प्रकरण निर्णय फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिवक्ता श्री पन्नालाल चौधरी को नियुक्त कर काउन्टर क्लेम बाबत घोषणा खातेदारी प्रस्तुत करने एवं आवश्यक साक्ष्य सबुत व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर दिनांक 23.10.2013 को वकालतनामा व आवश्यक जवाबदेही हेतु दस्तावेजात पर हस्ताक्षर कर संभला दिए थे तथा प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने के समय सुचित करने हेतु हिदायत दी गई थी परंतु सूचना नहीं दी गई, इसलिए दिनांक 31.12.2014 को जवाब देही बंद कर दिनांक 27.07.2015 को अपीलांट की ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए बिना पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। वाद के विचाराधीन रहते ही पक्षकारान के मध्य यह तय हुआ था कि पूर्व में सीमाज्ञान करवा कर जो भूमि करीब 7 बीघा अडोसी पडोसीयान ने दबा रखी है निकलवाई जाकर वादीया को कब्जा संभलाकर सहमती से ही बंटवारा करवाएंगे तथा विचाराधीन प्रकरण वादीया विड्रो कर लेगी, परंतु वादीया ने उक्त समझौते के विपरीत बाला बाला कार्यवाही कर विश्वास व भरोसा भंग कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्राप्त कि जिसकी जानकारी कोविड 2019–2020 व 2021 के चलते एवं प्रार्थीगण जो कि अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व महिलाए होने से राजस्व रिकार्ड व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधिवक्ता द्वारा भी कभी मौखिक या लिखित में सूचना नहीं भिजवाई गई। मौके पर जाकर कोई नक्शे कुरेजात तैयार नहीं किए गए न ही इस बाबत पटवार हल्का द्वारा सूचना दी। पटवार हल्का द्वारा नापचौक करने कि सूचना देने पर उक्त एकतरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिवक्ता श्री पन्नालाल चौधरी को नियुक्त कर काउन्टर क्लेम बाबत घोषणा खातेदारी प्रस्तुत करने एवं आवश्यक साक्ष्य सबुत व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर दिनांक 23.10.2013 को वकालतनामा व आवश्यक जवाबदेही हेतु दस्तावेजात पर हस्ताक्षर कर संभला दिए थे तथा प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने के समय सुचित करने हेतु हिदायत दी गई थी परंतु सूचना नहीं दी गई, इसलिए दिनांक 31.12.2014 को जवाब देही बंद कर दिनांक 27.07.2015 को अपीलांट की एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए बिना पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.07.2015 की एकतरफा कार्यवाही व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की सूचना व जानकारी नहीं दी गई इसलिए अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही व भूल के कारण एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होकर विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिकाओं से प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की तलवी कभी भी नहीं की गई तथा दिनांक 10.12.2014 में अंकित आदेशिका के पश्चात प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की न कभी तामिल जारी की गई न ही कभी तामिल होकर उपस्थित रहे न ही ईकतरफा कार्यवाही की गई। तत्पश्चात भी दिनांक 23.3.2015 को पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता एवं रेवेन्यु कोर्ट मेन्युल में विहित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। आदेशिका दिनांक 29.6.2015 में पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हुए थे तत्पश्चात पी0डब्ल्यू–1 मोमल, पीडब्ल्यु0–2 चंदाराम पीडब्ल्यु0–3 रामजीलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता को जिरह का अवसर नहीं दिया गया न ही वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गए। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से कानून के विपरीत जाकर राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर निर्णय में अंकन किया जबकि कानूनन प्रदर्श दस्तावेजात ही वरवक्त निर्णय पढे जा सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय में वाद के समर्थन में कोई भी दस्तावेजात यथा राजस्व नक्शा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ट्रेस, जमाबंदी व कब्जे बाबत दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन विवेचन करने मे विधि की भूल की है और प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। दिनांक 27.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ईकतरफा आदेश पारित कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किया तथा आदेशिका में बाई मिटस एण्ड बोण्डस नक्शे कुरेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार दूदू को आदेश प्रदान किया जबकि विस्तृत निर्णय में वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार निर्णय पारित किया गया। जबकि वादीया के अभिकथनों में एवं चाही गए अनुतोष में कब्जे एवं हक हिस्से बाबत अभिकथन दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए अभिवचनों व प्लीडिंग्स व चाहे गए अनुतोष के अभाव में न्यायालय द्वारा दिया गया सु–मोटो अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में अभिधृतियों के विभाजन बाबत प्रावधान किए गए है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री क्लोज 2(1) व (2) में कब्जे अनुरूप बंटवारा करने का बिना सहमति या बिना लिखिल ईकरारनामा का कोई प्रावधान नहीं है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे अनुरूप प्राथकि निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। खसरा नम्बर 200 रकबा 10.43 है0 पर कभी भी वादीया का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वादीया ने बिना कब्जे के नुमायशी विक्रय पत्र तैयार करवाया है। कब्जे के अभाव में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जा सकता था। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के बिना कब्जे की भूमि को कब्जे अनुसार डिक्री पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय मनमाना बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए विधि विरूद्ध पारित किया गया है। चूंकि निर्णय के पेज संख्या 03 में न्यायालय द्वारा अपने अभिवचनों में अंकित किया है कि दिनांक 29.06.2015 को पी0डब्ल्यू0–1 मोमल पी0डब्ल्यू0–2 चंदाराम, पी0डब्ल्यू–3 रामजीलाल के शपथ पत्र पेश किए गए जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किए गए जबकि उक्त दिवस को पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर गए हुए थे। तथा आदेशिका में सील लगी हुई है बिना स्वीकृति बिना किसी प्रकार की मार्किंग के बिना जिरह का अवसर दिए उक्त साक्ष्य को पढा नहीं जा सकता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में विवेचन कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.7.2015 में पेज संख्या 3 कि पंक्ति संख्या 25 में अंकन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ल0 11 को आज दिवस तक जवाब प्रस्तुत करने के काफी अवसर प्रदान किए गए किंतु जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ न ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने उपस्थित होकर अपना कोई पक्ष रखा है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब दिनांक 31.12.2014 को ही बंद किया जा चुका था। जिससे प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया है। वादीया का मौके पर कब्जा आज दिनांक तक नहीं है तथा उक्त भूमि रकबे में दर्ज इंद्राज के अनुरूप मौके पर कम है वादीया तकासमा करवाकर जबरन अपीलांट को कब्जे से न्यायालय निर्णय की आड में बेदखल करना चाहती है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के प्रभाव में रहते अपीलांट के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते है तथा अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन होता है इसलिए इकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। हस्तगत वाद में वादीया ने तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने स्थाई निषेधाज्ञा बाबत कोई विवेचन नहीं किया तथा उक्त अनुतोष को अनिर्णित छोड दिया जबकि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कानूनन उक्त अनुतोष पर भी विवेचन किया जाना था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 331/2013 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.07.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने सर्वप्रथम अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27जा.दी. व अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में कथन किया कि उक्त अपील में अपील की विषय वस्तु से संबंधित राजस्व रिकार्ड की जमाबंदीयों की सत्यप्रतिलिपी रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 द्वारा पूर्व में पेश नहीं कर सके थे अब रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त जमाबंदीयों को प्रमाणित नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। जिसे रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज व न्यायालय से प्रमाणित प्रति है जिसके किसी प्रकार का फर्जी होने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए जाने/प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान करे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेजात/ राजकीय दस्तावेज नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावें।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलांट द्वारा श्री पन्नालाल चौधरी एडवोकेट को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया जाना दिनांक 31.12.2014 को जवाब बंद करना, दिनांक 27.07.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित कर दिनांक 26.10.2015 अंतिम निर्णय पारित करना सही है शेष ईबारत जिस प्रकार से दर्ज की गई है गलत है एवं स्वीकार नहीं है अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए गए है लेकिन अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया गया न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर ही हुए है ऐसी स्थिति में अपीलांटस किसी प्रकार से अवसर प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 2 गलत है एवं स्वीकार नहीं है अपीलांट द्वारा मद हाजा में मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से गलत तथ्य दर्ज किए है पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार से सहमति से बंटवारा होने की कोई बात नहीं हुई अपीलांट/अप्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय के बाद से ही रही है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री विधि अनुसार ही पारित किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 05.06.2022 की घटना कतई मनगढत व झूठी दर्ज की है दिनांक 05.06.2022 को अपीलांट संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है बल्कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अप्रेल 2022 में रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 को बैचान कर दिया जब से रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने एक वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जमाबंदी संवत् 2068–2071 के आराजी खतौनी संख्या 114 के आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 10.43 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 10.43 वाके ग्राम बोकडावास तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमें वादिया 1/6 हिस्से की एवं शेष प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबंदी के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे है। उपरोक्त विवादित आराजीयात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है परंतु मौके पर पक्षकारान ने अपने–अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर लिया तथा बंटवारा के अनुसार मौके काश्त कर उपज प्राप्त करते आ रहे है। विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से तकासमा नहीं होने से वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के मध्य आए दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहने लग गया है। विवादित आराजीयात में वादिया ने अपने हिस्से की आराजी पर बंधा बनाना चाहती है ताकि खेत का पानी खेत में रहने से आराजी और अधिक उपजाउ व उन्नत हो सके परंतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है इसलिए तकासमा नहीं कराना चाहते है। अबतक वादीया व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे। राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने के कारण वादिया राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रही है तथा प्रतिवादीगण आए दिन मेर कोर को लेकर विवाद करते रहते है। राजस्व रिकार्ड में विधिवत तकासमा नहीं होने से वादीया ठीक प्रकार से अपने हिस्से की आराजी को उपजाउ भी नहीं बना पा रही है। वादीया को हमेशा अंदोशा रहता है कि कभी भी प्रतिवादीगण बिना तकासमा के बैचान कर सकते है। वादीया ने प्रतिवादीगण को कई बार तकासमा करवाने के लिए कहा परंतु यह कहकर टाल देते है कि कब्जा काश्त हो कभी भी तकासमा करवा देंगे, वादिया ने दिनांक 03.09.2013 को प्रतिवादीगण को कहा कि आए दिन मेर कोर को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए तकासमा करवा लिया जावे तो प्रतिवादीगण तकासमा करवाने से साफ इंकार हो गए। वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजीयात बाई मीटस एण्ड बोण्डस अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबंदी किया जाना एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है कि वह वादिया के 1/6 हिस्से की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामहत नहीं करे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो वादिया के विधिक अधिकारों पर सख्त कहतलफी होगी वादीया को न्याय से महरूम रहना पडेगा, झगडा विवाद बढकर जन धन की हानि हो सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को उनके कृत्य से रोकने के लिए जबतक विवादित आराजीयात का तकासमा नहीं हो जाता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संसख्या 12 भू–धारक होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 13 को विवादित आराजीयात रहन होने से पक्षकार कायम किया गया है। वादिया ने वाद कारण अंकित करते हुए निवेदन किया है कि वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात वर्णित वाद पत्र के मद नम्बर 1 का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य बाई मीटस एण्ड बोउण्ड अचछी से अच्छी एवं बुरी से बुरी तकासमा किया जाकर लगान की फेटबंदली अलहदा–अलहदा किया जावे। डिक्री की पालनार्थ हेतु तहसीलदार, दूदू को लिखा जावें। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के वर्णित मद नम्बर 1 की आराजीयात में वादिया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न स्वयं करे न अन्य किसी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नौकर चाकर एजेंट आदि से करावे तथा न ही विवादित आराजीयात का बिना तकासमा दीगर व्यक्तियों को रहन बेय मुंतिकल विक्रय आदि करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

11. हमनें अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय दस्तावेज नहीं है तथा दस्तावेज प्रमाणित नहीं होने के कारण के कारण **प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. को खारिज किया जाता है।** अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण एवं राजकीय दस्तावेजात होने के कारण तथा विवादित आराजीयात बाबत प्रकरण में न्याय निर्णय में सहायक होगें। न्यायहित में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते हैं। **अतः रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश दिये जाते है।**

12. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होने एवं मान्नीय उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अनोको प्रकरण में प्रकरण तकनीकि आधार पर निर्णित कर, प्रकरण का गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायहित में प्रार्थीगण/अपीलांटस का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

13. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या मोमल द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष वाद संख्या 331/2013 बउनवानी मोमल बनाम सत्यनारायण वगैरह अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के तहत पेश किया गया। उक्त वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय द्वारा <u>प्रतिवादीगण/वर्तमान</u> अपीलांटस की तलबी किये जाने पर <u>प्रतिवादीगण/वर्तमान</u> अपीलांटस की और से श्री पन्नालाल चौधरी, अधिवक्ता ने 23.10.2013 को वकालतनामा पेश किया । तत्पश्चात् दिनांक 18.11.2014 पत्रावली जवाब प्रतिवादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 की तलबी में विचाराधीन रही । दिनांक 31.12.2014 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादगण द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया है । दिनांक 02.07.2015 की आदेशिका के अनुसार उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण की के विरूद्ध एक्स पार्टी की जाकर वाद में दिनांक 27.7.2015 को प्राथमिक डिकी जारी गई है । विचारण न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में अंकित किया है कि –**"खसरा नंबर 200 रकबा 10.43 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम बोकड़ावास, तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान की भूमि का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत11 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जानुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्डस (अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी) के सिद्धांत के अनुसार तकासमा किया**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जाना उचित प्रतीत होता है ।" विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री प्रतिवादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना केवल मात्र वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए कब्जानुसार बंटवारा करने के निर्देश दिए है। पक्षकारान विवादित आराजियात के कौन से हिस्से पर कौन पक्षकार काबिज है यह उभयपक्ष को सुने बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के बजाय प्रतिवादीगण को अंतिम अवसर प्रदान कर सुनकर ही प्राथमिक डिक्री परित करना चाहिये था। किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस का साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

14. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 331/.2013 बउनवानी मोमल बनाम सत्यनारायण वगै0 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री 27.7.2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में विधिनुसार प्राथमिक डिक्री पारित करे । तत्पश्चात् तहसीलदार, दूदू से उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर, उन पर उभयपक्ष से आपत्तियां आमत्रित कर, उनके निस्तारण उपरांत वाद में विधिनुसार अंतिम डिक्री पारित करें। अपीलांटस को निर्देश दिये जाते है कि वे उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में उपस्थित होकर निर्णय दिनांक से एक माह में अपना जवाब पेश करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner